कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक–मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिरशंषा के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा /मा /संस्था /बी–1 /45001 /आरपीएससी–18 /पदस्थापन /2019 /1–164 दिनांक 16.10.2019 द्वारा कुल 614 अभ्यर्थियों (वरिष्ठता क्रमांक 01 से 1187 तक है इसमे बीच–बीच मे कुछ के नम्बर नही आये हुए है) के पदस्थापन आदेश प्रथम चरण मे जारी किये गये थे। तत्पश्चात आरपीएससी से अभिरशंषा, अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच, आवेदन पत्रों की जांच एवं इस प्रकार के विविध कारणो के आधार पर शेष अभ्यर्थियो के आदेश दिनांक 18.10.2019 के पश्चात जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 18.10.2019 के पश्चात जारी होने वाले आदेशो से सम्बन्धित अभ्यर्थी वीरेन्द्र सिंह व अन्य 5 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे याचिका संख्या 10952/2022 वीरेन्द्र सिंह व अन्य 5 बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर राजस्थान लोक सेवा आयोग वरीयता मे स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी सिविल याचिका संख्या 10952/2022 वीरेन्द्र सिंह व अन्य 5 बनाम राज्य सरकार मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 द्वारा वीरेन्द्र सिंह व अन्य 05 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति मे प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया– "Having regard to the fact of the case, the writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no2.-Director, Secondary education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the that of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी वीरेन्द्र सिंह व अन्य 5 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2019 के अनुसार ही स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ कार्मिक के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई है:–

01 क्र. सं.	02 नाम	03 जन्म दिनांक	04 मेरिट नं.	05 वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	06 प्रधानाध्यापक (मा.वि.) पद पर नियुक्ति आदेश की दिनांक	07 प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	DHARM RAJ (RJAL202002030136)	15-06-1980	959	GSSS KASBA DEHRA (215688) ALWAR	09-02-2021	11-02-2021
2	VIRENDRA SINGH (RJJP201818054230)	28-11-1976	969	GSSS SUDRASAN (219818) NAGAUR	09-02-2021	10-02-2021 मध्यान्ह पश्चात
3	NARENDRA KUMAR (RJHA202016045035)	05-01-1982	970	GSSS SHESHU (211629) JHUJHUNUN	09-02-2021	16-02-2021

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

	SHIV PRATAP SINGH (RJJP202018030541)	12-07-1978	1067	GSSS RAJPURA DANSROLI (213325) SIKAR	09-02-2021	10-02-2021 मध्यान्ह पश्चात
5	MANOJ KUMAR (RJAL202002036245)	10-01-1979	1070	GSSS SUBHASH NAGAR-2 (216759) KOTA	09-02-2021	16-02-2021
6	RAJVEER SINGH SARAN (RJJO202125000500)	26-06-1976	1089	GSSS DIGARI (220396) JODHPUR	09-02-2021	11-02-2021

उपर्युक्त अभ्यर्थी वीरेन्द सिह व अन्य 05 के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं नियमों के परिप्रक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (माधि) एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई तथा उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थी वीरेन्द्र सिह व अन्य 05 से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक मंजु पवन (वरीयता कमांक–1186) जन्म तिथि 12.04.1983 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 16.10.2019 द्वारा किया गया, जिसके कम में मंजु पवन द्वारा दिनांक 18.10.2019 को कार्यग्रहण किया तथा कार्मिक मंजु पवन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.10.2021 को नियमित वेतन शृखला एव ग्रेड–पे प्रदान किये गये।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2022 की पालना में उपर्युक्त उल्लिखित याचिकार्थी वीरेन्द्र सिह व अन्य 5 के द्वारा अपना परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से उनसे कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक मंजू पवन द्वारा उक्त तिथि तक, प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एंव अन्य सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए कार्मिक मंजू पवन द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार याचिकार्थी वीरेन्द्र सिंह व अन्य 5 का वेतन नियत किए जाने एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कमांक शिविरा/मा/संस्था–एवी/ए–2/कोके/याचिका/10952/2022/विरेन्द्र सिह व अन्य 5/ दिनांक 02/03/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक जोधपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/मा/संस्था/बी–2/जोध/नि./29865/आई/22
10. सम्बन्धित याचिकार्थी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)